रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 221] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 1983/वैशाख 30, 1905
No. 221] NEW DELHI, FRIDAY, MAY, 20, 1983/VAISAKHA 30, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त औषधि का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 मई, 1983

का० आ० 364 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 12 के उपपैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 157 (अ), तारीख 9 मार्च, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में "प्रवर्ग II विनिर्मितियां" शीर्षक के नीचे क्रम

सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

"2 अमोडियाक्विन एच सी एल टिकियां 200 मि० ग्रा० × 10 वाली टिकियां पट्टी/बोतल 2.88

अमोडियाक्विन एच सी एल 200 मि० ग्रा०/25 × 10 टिकियां वाली पट्टी 71.70"

[सं० 9(30)/82-औषधि-II]

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of the Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 20th May, 1983

S. O. 364(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 212 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of Government of India, in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S. O. 157 (E), dated the 9th March, 1981 namely :—

In the Table annexed to the said Notification, under the Heading "Category II formulations", for Serial No. 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"2. Amodiaquin Hcl Tablets	200mg/Tab.	10's trip/ bottle	2.88
Amodiaquin Hcl Tablets	200mg/Tab.	25x10's strip	71.70"

[No. 9 (30)/82-Drug.II]

का० आ० 365 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे की सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक निर्मित की, जिसकी प्रबलता और पैक आकार क्रमशः उसके स्तंभ (3) और (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमतों को अग्रणी कीमतों के रूप में नियत करती है, जिसमें उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हों, सम्मिलित नहीं हैं :—

सारणी

क्रम सं०	सूत्रयौगिक का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अग्रणी कीमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	एसिटाजालामाइड टिकियां	250 मि० ग्रा०/टिकिया	10 वाली पट्टी/बोतल	4 04
2.	एम्पिसिलिन सोडियम इंजेक्शन	500 मि०ग्रा०/शीशी	एक शीशी	4 24
3	एम्पिसिलिन सोडियम इंजेक्शन	250 मि०ग्रा०/शीशी	एक शीशी	3.04

[सं० 9 (30)/82-औषधि-II]
ई० एन० मूर्ति, उप सचिव

S. O. 365 (E). —In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column (5) of the Table below as the leader prices exclusive of excise duty and local taxes, if any, of each of the formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Formulation	Strength	Pack size	Leader price
1	2	3	4	5
1.	Acetazolamide Tabs.	250mg/Tab.	10's Strip/ Bottle	4.04
2.	Ampicillin Sodium Inj.	500mg/vial	One vial	4.24
3.	Ampicillin Sodium Inj.	250mg/vial	One vial	3.04

[No. 9 (30)/82-Drug.II]
E.N. MURTHY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983